

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

विनोद कुमार सिंह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा)
संलग्न विवरणी अनुसार।

पटना, दिनांक/

विषय :-

राज्य स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय (उत्क्रमित सहित)/अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवमीं एवं दसवीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत 75 प्रतिशत उपस्थिति वाले सामान्य कोटि की छात्राओं को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रति छात्रा रू० 150/-प्रतिमाह की दर से सात महिनों के लिए कुल रूपये 24,00,46,800/-(चौबीस करोड़ छियालीस हजार आठ सौ) मात्र राशि का आवंटन।

महोदय,

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-छात्रवृत्तियाँ, उप शीर्ष-0108-अन्य विद्यालय, विपत्र कोड-21-2202021070108, विषय शीर्ष-0108.3.01-छात्रवृत्तियाँ/वजीफा के अन्तर्गत राज्य स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय (उत्क्रमित सहित)/अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवमीं एवं दसवीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत 75: उपस्थिति वाले सामान्य कोटि की छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रति छात्र रू० 150/-प्रति माह की दर से सात महिनों के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल राशि रू० 24,00,46,800/-(चौबीस करोड़ छियालीस हजार आठ सौ) मात्र आपको संलग्न विवरणी अनुसार अतिरिक्त आवंटन आवंटित की जाती है।

2 यह राशि वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 (वि०-2), दिनांक-17.04.1998 300(वि), दिनांक-08.05.2009, 428 दिनांक-31.03.2017 एवं 3002 दिनांक-26.04.2017 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित है।

3. उपर्युक्त आवंटन स्वीकृत्यादेश संख्या-70 दिनांक-08.12.2017 के आलोक में आवंटित है।
4. इस राशि की निकासी एवं व्यय स्वीकृत्यादेश संख्या-70 दिनांक-08.12.2017 में अंकित प्रावधानों के अनुसार की जाय।
5. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छान-बीन एवं जाँच पड़ताल के बाद नियम के आलोक में ही किया जाए। आवंटित राशि के विरुद्ध किसी भी प्रकार की छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी एवं व्ययन तथा वित्तीय अनुशासनहीनता की पूरी जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
6. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय। सक्षम पदाधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर नियम के आलोक में ही व्यय किया जाय, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हों।
7. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सकें।
8. बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में प्रत्येक तिमाही की व्यय की सूचना वित्त विभाग को यथा समय उपलब्ध कराने हेतु विहित प्रपत्र में वांछित सूचनाएँ प्रत्येक तिमाही के अंत में निश्चित रूप से विशेष दूत से उपलब्ध करा दिया जाय।
9. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष आदि का स्पष्ट मुहर इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाए, ताकि महालेखाकार कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।
10. मासिक व्यय विवरणी अगले माह की 10वीं तारीख तक टी0भी0न0 एवं तिथि के साथ अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को भेजी जाय।
11. मितव्ययिता अवश्य बरतें।
12. इस विपत्र कोड के विषय शीर्ष-0102.34.01-छात्रवृत्ति/वजीफा में प्रथम अनुपूरक आगणन द्वारा 40.67 करोड़ रुपये मात्र का अतिरिक्त बजटीय उपबंध कराया गया है।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:- 189

पटना, दिनांक:- 15/12/2017

प्रतिलिपि:-संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी/निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/सहायक निदेशक (योजना)/उप सचिव/अवर सचिव-सह-बजट पदाधिकारी/प्रशाखा-05 एवं 11/आई0 टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार सिंह),

सरकार के विशेष सचिव

संज्ञा

मांग संख्या-21, मुख्य शीर्ष-2202-सामान्य शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष-02-माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष-107-छात्रवृत्तियाँ, उप शीर्ष-0108-अन्य विद्यालय, विपत्र कोड-21-2202021070108, विषय शीर्ष-0108.34.01-छात्रवृत्तियाँ/वजीफा के अन्तर्गत राज्य स्कीम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/प्रोजेक्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय (उत्कर्मित सहित)/अनुदानित प्रस्वीकृत अल्पसंख्यक उच्च माध्यमिक विद्यालय/अनुदानित अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसा/संस्कृत एवं वित्त रहित उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवमी एवं दसवीं कक्षा में नियमित रूप से अध्ययनरत 75% उपस्थिति वाले सामान्य कोटि की छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत प्रति छात्र रू० 150/-प्रति माह की दर से सात महिनों के लिए कुल 24,00,46,800/- (चौबीस करोड़ छियालीस हजार आठ सौ) रूपये मात्र अतिरिक्त आवंटित राशि की विवरणी।

क्र० सं०	जिला का नाम	अन्य कोटि के बालको की संख्या	तत्काल आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	पटना	4141	4348050	4348050
2	नालन्दा	3453	3625650	3625650
3	भोजपुर	8922	9368100	9368100
4	बक्सर	4297	4511850	4511850
5	रोहतास	39773	41761650	41761650
6	कैमूर (भभूआ)	1663	1746150	1746150
7	गया	3600	3780000	3780000
8	जहानाबाद	781	820050	820050
9	अरवल	694	728700	728700
10	नवादा	11340	11907000	11907000
11	औरंगाबाद	4058	4260900	4260900
12	मुजफ्फरपुर	9866	10359300	10359300
13	सीतामढ़ी	6888	7232400	7232400
14	शिवहर	1731	1817550	1817550
15	वैशाली	5357	5624850	5624850
16	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	10308	10823400	10823400
17	प० चम्पारण (बेतिया)	5120	5376000	5376000
18	सारण	14529	15255450	15255450
19	सीवान	9377	9845850	9845850
20	गोपालगंज	6549	6876450	6876450
21	दरभंगा	15000	15750000	15750000
22	मधुबनी	10335	10851750	10851750
23	समस्तीपुर	6318	6633900	6633900
24	सहरसा	3229	3390450	3390450
25	सुपौल	2515	2640750	2640750
26	मधेपुरा	1860	1953000	1953000
27	पुर्णिया	2864	3007200	3007200
28	अररिया	1994	2093700	2093700
29	किशनगंज	3410	3580500	3580500
30	कटिहार	3570	3748500	3748500
31	भागलपुर	4587	4816350	4816350
32	बांका	1326	1392300	1392300
33	मुंगेर	1849	1941450	1941450
34	शेखपुरा	1208	1268400	1268400
35	लखीसराय	1648	1730400	1730400
36	जमुई	2287	2401350	2401350
37	खगड़िया	5393	5662650	5662650
38	बेगुसराय	6776	7114800	7114800
कुल योग :-		228616	240046800	240046800

कुल (चौबीस करोड़ छियालीस हजार आठ सौ) रूपये मात्र।

(विनोद कुमार सिंह)

विशेष सचिव

2/1/17